न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II , RAS

अपील संख्या 42 / 2024

1 पवन कुमार पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी ग्राम पबाना मण्डी मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र प्रहलाद
2 दिनेश कुमार पुत्र प्रहलाद
3 कांता देवी पत्नी वासुदेव सैनी
4 प्रहलाद पुत्र नात्थुराम
समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम पबाना मण्डी मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अन्तरिम आदेश दिनांक 07.02.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी वाद पवन कुमार बनाम रामजीलाल आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 19 / 2024 आ.पेशी

15.05.2024

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिंगादिया, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2024 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक (अपीलान्ट) पवन कुमार ने इस आशय का दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजस्व ग्राम पबाना में भूमि खसरा नम्बर 1451/815 रकबा 1.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1455/815 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में आवेदक का हिस्सा 1059/4300, अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 89/645, अनावेदक नम्बर 2 का 89/645, अनावेदक नम्बर का 63/4300 तथा अनावेदक संख्या 4 का हिस्सा 2987/6450 है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त अविभाजित खसरा नम्बरान की भूमि पर अनावेदकगण 1 व 2 परिजनों से नाराजगी के चलते भूमि खसरा नम्बर 1451/815, 1455/815 की भूमि पर जगह—जगह पक्का निर्माण कार्य करने में लगे है। दिनांक 25.01.2024 को निर्माण कार्य शुरू कर विशेष भू—भाग सड़क की तरफ की भूमि पर निर्माण कार्य करने को उतारू हो गये और वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि का विभाजन के बाबत कहने पर मरने—मारने को उतारू हो जाते है। इस प्रकार से आवेदक के हिस्से के संपति पर उपयोग—उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है। इसलिए अनावेदकगण 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की रिलीफ की मांग की। जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. दिनांक 30.01.2024 को दर्ज किया और दर्ज के साथ ही कैवियटकर्ता दिनेश कुमार (रेस्पोडेन्ट नम्बर 2) के अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज करवायी और अंतरिम स्थगन पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 31.01.2024 को नियत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को वादग्रस्त खसरा नंबरान के बाबत अंतरिम स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के दिनांक 07.02.2024 को अंतरिम आदेश अपीलान्ट के पक्ष में जारी नहीं किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 1451/815 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1455/815 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलांट व रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि चली आ रही है जिसका आज तक भौतिक रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है और ना ही राजस्व रिकार्ड में विभाजन हुआ है। फिर भी विचारण न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी नहीं किये जाने में भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 प्रहलाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 के जायन्दा पिता है जिनके नाम से वादग्रस्त खसरा नम्बर 1451/815 व 1455/815 की खातेदारी पूर्व से चली आ रही थी। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 लगातार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 को तंग परेशान करते चले आ रहे थे और वर्ष 2017 में उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश किया तथा पैतृक संपति में अपने हक–हिस्से की घोषणा करवाने की मांग की जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व अपीलान्ट ने राजीनामें के आधार पर रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 के पक्ष में उनके हक हिस्से तक की भूमि की खातेदारी दिये जाने बाबत स्वीकृति दी और विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.07.2023 को राजीनामें के आधार पर रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 दोनों को खातेदार घोषित कर दिया जिसकी डिक्री दिनांक 29.08.2017 को जारी की गयी। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि में से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। खातेदारी प्राप्त हो जाने के बाद रेस्पोडेन्टस 1 व 2 लगातार अपीलांट को तंग परेशान करना शुरू कर दिया तथा विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण कर कब्जा करने की धमकियां देने लगे और इसी क्रम में रेस्पोडेन्टस 1 व 2 ने दिनांक 25.01.2024 को वादग्रस्त खसरा नम्बर पर निर्माण करना शुरू कर दिया। उक्त संपूर्ण स्थिति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

संदर्भ में अपीलान्ट ने दावा में कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से दावा टी.आई निर्णित हो जाने तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य नहीं करने की रिलीफ चाही लेकिन विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई इन तथ्यों पर गौर नहीं करते हुए अपना अंतरिम स्थगन आदेश अस्वीकार करने के साथ पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली है। विचारण न्यायालय ने अंतरिम आदेश में अंकित किया है कि किसी भी काश्तकार का यह प्राथमिक अधिकार है कि वह अपनी आराजीयात पर काश्त करे, उस पर रहे, उस पर अपना आवास गृह निर्मित करे, पशु–बाड़े को निर्मित करें, खलिहान को रखने हेतु भण्डार का निर्माण करे, उसका बेचान करें, उसका उपयोग उपभोग करे एवं जब तक वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो तब तक वादी व अप्रार्थी को अपने हक हिस्से से अधिक आराजीयात पर किसी प्रकार का प्रश्न करने का अवसर पैदा ही नहीं होता। इसलिए सहखातेदारी की अविभाजित आराजीयात के प्रकरण में सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के इस स्तर पर प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। उक्त कथन अंकन के साथ अंतरिम आदेश अस्वीकार करने में भारी भूल की है जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्टस 1 व 2 द्वारा लगातार सहखातेदारों को तंग–परेशान किया जा रहा था तथा गलत आधारों पर अपने ही माता–पिता व सगे भाई व भाई की पत्नी के विरूद्ध पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ में 218/23 प्राथमिकी दर्ज करवा दी। जिसमें बाद सुनवाई सेशन कोर्ट झुन्झुनूं ने अग्रीम जमानत का लाभ दिया और पुलिस ने बाद अनुसंधान नकारात्मक नतीजा कोर्ट के समक्ष पेश किया। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 व 2 जब अपनी कुचेष्टाओं मेंज ब सफल नहीं हुए तो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विशेष भू–भाग पर नाजायज रूप से पक्का निर्माण करने को अमादा हो गये तथा अपीलान्ट व इसके परिवार वालों के साथ मरने–मारने को उतारू है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं करते हुए अंतरिम आदेश स्वीकार करने में भारी भुल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने वादग्रस्त खसरा नम्बरान के बाबत प्रथम दृष्टया स्थिति स्पष्ट कर दी थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा किये जा रहे निर्माण की वजह से मौके पर मरने मारने का अंदेशा है तथा इस निर्माण से अपूरणीय क्षति भी अपीलान्ट को होने वाली है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गौर नहीं किया और निर्माण कार्य को अंतरिम आदेश के माध्यम से रोके जाने का आदेश अस्वीकार करने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह स्थिति भी स्पष्ट कर दी थी कि वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि का हिस्सेनुसार बंटवारा कर अलग–अलग सींव कायम राजीनामें के आधार पर कर दी जावे ताकि विवाद की विषय–वस्तु समाप्त हो जावे लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 एवं इसके अधिवक्ता वादग्रस्त खसरा नम्बरान का विभाजन तो चाहते ही नहीं है। उक्त रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 तो विशेष भू–भाग पर कब्जा कर अपीलान्ट को इसके हक हिस्से की भूमि से वंचित करने को अमादा रहा है। इसलिए विचारण न्यायालय को उक्त प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश स्वीकार किया जाना चाहिए था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि के संदर्भ में प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद एवं धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना अस्वीकार की है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार पी.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)